

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्स:-0135-2741607, 2742641
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

(I.T.h.C)

देहरादून: दिनांक: 27 जुलाई, 2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-12-00-भू-क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :- शासनादेश संख्या 1054/X-2-2021-12(37)2017 दिनांक 03 जून, 2021 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S21060270001 दिनांक 03.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-12-00- भू-क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त धनराशि ₹1,50,00,000 /-(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹55,85,000 /-(₹ पचपन लाख पचासी हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि ₹10,00,000 /-(₹ दस लाख मात्र) का IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार को ऑन लाइन बजट निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित करते हुए प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है:-

- 1- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2-मानक मद-52 लघु निर्माण में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों में से किसी भी कार्य की लागत ₹20.00लाख से अधिक न हो तथा बृहद निर्माण की लागत 20.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकड़े न किये जाए। कार्य करने से पूर्व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 3-छोटे कार्यों(पेटी वकर्स), लघु कार्यों(माइनर वकर्स) की लागत सीमा में वृद्धि कये जाने के फलस्वरूप मानक मद 52-लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु उत्तराखण्ड शासन वित्त (वि0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-323/XXVII(7)/19-50(7)/2019 दिनांक 20.09.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 4-उपरोक्त कार्यों की शासनादेश संख्या-423/09(150)-2019XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
- 5-अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित भुगतान ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यों हेतु भुगतान कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
- 6-कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
- 7-अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8-निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
- 9-आगणन के प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10-बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 11-आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

Amish

12-संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या-1 से 11 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भू-क्षरण की रोकथाम हेतु सक्षम स्तर/अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड से निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

[Handwritten signature]

भवदीय,

[Handwritten signature]
(जीवन चन्द्र जोशी)

वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0-179 (1)/3-5 (भू-क्षरण की रोकथाम) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
- 7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 9- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- उप वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

[Handwritten notes]
I. T. G. C
द. अ. य. म. स. क. ए.
पं. स. क. ए.

[Handwritten notes]
CCF
29/7

[Handwritten notes]
29/7

आवंटन पत्र संख्या -Ni-179/3-5

आवंटन आई डी-H21070270205

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-27-JUL-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

01-Forestry

101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

12-भू-क्षरण की रोकथाम योजना (

44060110114 में स्थानान्तरित)

00-g


Voted


2	4	0	6	0	1	1	0	1	1	2	0	0
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
52-लघु निर्माण		795000	1000000	0	1795000							
योग		795000	1000000	0	1795000							

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.10,00,000 (Rupees Ten Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2107:0205

Approval Status : APPROVED BY OFFICER





वित्त निदेशक

वन विभाग

कार्यालय

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड

देहरादून